न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 979–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–1–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ प्र0क0 1/बी–121/2012–13

वालचंद पिता प्रेमचंद अमलियार
उम्र 32 वर्ष लगभग, निवासी ग्राम सेमलिया (नरेला)
तहसील थांदला जिला झाबुआ

.....आवेदक

विरूद्ध

रमेशचन्द्र पिता वालिया
जाति डामर, निवासी ग्राम सेमलिया (नरेला)
तहसील थांदला जिला झाबुआ

.....अनावेदक

श्री विनय गांधी अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0 के0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 9 अक्टूबर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश 10–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–56/11–12 दिनांक 22–5–2012 को आदेश पारित कर आवेदक वालचंद पिता प्रेमचंद अमलियार को ग्राम सेमरिया तहसील थांदला के कोटवार पद पर नियुक्त किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान अनावेदक द्वारा कलेक्टर को इस आशय का शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि

तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम बहस सुनने के उपरान्त एक माह व्यतीत होने के पश्चात भी अभी तक आदेश पारित नहीं किया गया है । तहसीलदार द्वारा कोटवार की नियुक्ति में अवैधानिकता की गई है, अतः दोनों प्रकरण बुलाये जाकर उनकी जांच की जाये। अनावेदक की शिकायत पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/बी–121/12–13 दर्ज किया जाकर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण मंगाये गये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने के उपरान्त अंतिम निराकरण हेतु अपर कलेक्टर को भेजा गया। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–1–2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार को कोटवार की स्थाई नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके द्वारा संहिता की किस धारा के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि अपीलीय आदेश है और उसकी अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । यह भी कहा गया कि संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप कलेक्टर को निगरानी सुनने की शक्तिया नहीं रह गई है और संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को प्राप्त नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा पूर्णतः अवैधानिक अनियमित एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा एक ही दिन में कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा कोटवार की नियुक्ति निरस्त कर फिर से स्थाई कोटवार की नियुक्ति हेतु निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/अ–56/2011–12 में दिनांक 22–5–2012 को आदेश पारित कर आवेदक की

कोटवार पद पर अस्थाई नियुक्ति की गई है और इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–9–2012 को आदेश पारित किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया है एवं अपील निरस्त की गई है । इस दौरान अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर प्रकरण निराकरण हेतु अपर कलेक्टर को भेजा गया है, और अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित कर तहसीलदार को स्थाई कोटवार की नियुक्ति के निर्देश दिये गये है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही होकर क्षेत्राधिकार रहित है । कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण में यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है अथवा कोई कार्यवाही की जाती है, तब उसके विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है और यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में अंतिम आदेश पारित कर दिया जाता है तब संहिता की धारा 44 (2) के अंतर्गत द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, परन्तु शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 230 के अंतर्गत पारित आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में की गई कार्यवाही अथवा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को प्राप्त नहीं है । अतः अपर कलेक्टर को आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–1–2013 विधिसंगत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर